न्यायालयः—सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,माण्डल जिला भीलवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः— श्री महिपालसिंह आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या :— 02 सन 2017 राजस्व वाद नवीन प्रकरण संख्या 134 सन 2019 राजस्व वाद

1. श्री भेरूलाल आत्मज श्री सुवालाल बोहरा (महाजन) उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्री तेज सिंह आत्मज श्री सुवालाल बोहरा (महाजन) उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
3. मु. पारस पुत्री श्री सुवालाल बोहरा (महाजन) उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
4. मु. सुशीला पुत्री श्री सुवालाल बोहरा (महाजन) उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
5. मु. चन्दा पुत्री श्री सुवालाल बोहरा (महाजन) उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
6. मु. पुष्पा पुत्री श्री सुवालाल बोहरा (महाजन) उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
7. मु. गटटू पत्नी श्री सुवालाल बोहरा (महाजन) उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.) ....वादीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मण सिंह आत्मज श्री गोवर्धनसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्री राजबहादुर सिंह आत्मज श्री मिठठुसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
3. मु. पिंकी कंवर पुत्री श्री मिठठुसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
4. मु. श्रवणकंवर पुत्री श्री मिठठुसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)
5. श्री करण सिंह आत्मज श्री चन्द्रसिंह राजपूत उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मु. भंवरकवर पत्नी श्री चन्द्रसिंह राजपूत निवासी चाखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. मु. कृष्णा कंवर पुत्री श्री चन्द्रसिंह राजपूत उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मु. भंवरकवर पत्नी श्री चन्द्रसिंह राजपूत निवासी चाखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
7. मु. गोटियाकंवर पुत्री श्री चन्द्रसिंह राजपूत उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मु. भंवरकवर पत्नी श्री चन्द्रसिंह राजपूत निवासी चाखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

8 मु. भंवरकवर पत्नी श्री चन्द्रसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)

9. मु. नारायण कंवर पत्नी श्री गोवर्धनसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)

10. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज.)

............................प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा , ईन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—

1. राजेश तिवाडी

एडवोकेट वादीगण

::: नि र्ण य ::::

दिनांक :— 13/3/2020

वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वादपत्र बावत घोषणा ,ईन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 कि पुर्वजा श्रीमति टीमरकंवर पत्नी श्री शंभूसिंह जी राजपूत के स्वामित्व अधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की साबिक कृर्षि आराजी संख्या 878 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा भूमि सेटलमेन्ट से पुर्व सम्वत 2024 से 2027 की जमाबन्दी में अन्य आराजियात के साथ ग्राम चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में स्थित होकर दर्ज राजस्व रेकार्ड थी जिसके सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन आराजी संख्या 1007 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा व आराजी संख्या 1008 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कायम किये गये तथा वर्ष 2005 में श्रीमति टिमरकंवर का निधन हो जाने से जरीये इंतकाल नम्बर 1238 के विरासत से टिमर कंवर के बजाय लक्ष्मणसिंह, मिठठुसिंह, चन्द्रसिंह पिता गोवर्धनसिंह, भंवरकवर ,श्यामकंवर पुत्री गोवर्धनसिंह, नारायणकंवर पत्नी गोवर्धनसिंह, विष्णुकंवर, सरीयाकंवर, गेन्दकंवर पुत्री शंभूसिंह के नाम पर दर्ज कि गई तथा तत्पश्चात वर्ष 2009 मे भंवरकंवर , श्यामकंवर, व गेन्दकंवर ने अपने हक हिस्से को लक्ष्मण सिंह, मिठठुसिंह, चन्द्रसिंह के पक्ष में हक परीत्याग कर दिया तथा वर्ष 2009 में ही विष्णुकंवर, सरीयाकंवर ने अपने हक हिस्से को लक्ष्मण सिंह पिता गोवर्धनसिंह के पक्ष में हक परित्याग कर दिया तत्पश्चात लक्ष्मणसिंह ने नवीन आराजी संख्या 1007 व 1008 में से रूकमण पत्नी रामेश्वर जाट एवं घीसी पत्नी गोपीलाल जाट को 04 बिस्वा व गीता पत्नी जीवराज जाट को 01 बिस्वा, तथा हीरालाल, अमरचन्द पिता मांगीलाल ,छीतरमल पिता सुखदेव जाट को 02 बिस्वा एवं सोहनलाल पिता श्री किशन जाट को 03 बिस्वा भूमि विक्रय कर दी तथा प्रतिवादीगण व इन क्रेताओं के मध्य विभाजन हो जाने से खाते भी अलग —अलग हो चुके है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम पर आराजी संख्या 1007 रकबा 19 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1008 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज राजस्व रेकार्ड है। तथा उक्त वर्तमान आराजी संख्या 1007 व 1008 के सेटलमेन्ट के पुर्व साबिक आराजी संख्या 878 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा

8

होकर श्री मति टिमरकंवर के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी जिसमें से श्रीमति टिमरकंवर ने 05 बिस्वा भूमि जिसके पडौस पुर्व मे पटेल धुलीराम जी कि गुवाडी व बाडा, पश्चिम में सरकारी रास्ता, उत्तर में टिमर कंवर की स्वय की आराजी, दक्षिण में सुवालाल जी बोहरा का स्वयं का नोहरा है को वादीगण के पुर्वज श्री सुवालाल आत्मज श्री भूरालाल जी बोहरा को बिल एवज 1000 /– अक्षरे एक हजार रूपये में विक्रय कर विक्रयपत्र का दिनांक 09/06/1971 को सुवालाल जी के पक्ष में पंजियन करा कब्जा मौके पर सिपुर्द कर दिया तथा क्रय करने के दिन से ही वादीगण के पुर्वज सुवालाल जी अपने द्वारा क्रयसुदा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते रहे तत्पश्चात सुवालाल जी निधन हो जाने के उपरान्त वादीगण विरासत से काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है । परन्तु प्रतिवादीगण की पुर्वजा श्रीमति टिमर कंवर के नाम पर दर्ज साबिक आराजी संख्या 878 में से 05 बिस्वा भूमि वादीगण के पुर्वज सुवालाल जी द्वारा दिनांक 09/06/71 को जरीये पंजिकृत विक्रय पत्र के टिमरकंवर से क्रय कर अधिपत्य मे लेने के बावजूद भूल या सेहवन से राजस्व अधिकारीयों द्वारा वादीगण के पुर्वज सुवालाल जी का नाम जरीये नामान्तरण के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज नही किया गया व तत्पश्चात सेटलमेन्ट हो जाने से उक्त साबिक आराजी संख्या 878 के नवीन आराजी संख्या 1007 व 1008 कायम कर देने व श्रीमति टिमरकंवर का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रहने के कारण टिमरकंवर के निधन के पश्चात जरीये विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम पर दर्ज कर दी जिसका कि राजस्व अधिकारीयों को कोई विधिक अधिकार नही था क्योकि वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादीगण की पुर्वजा श्रीमति टिमरकंवर से उनके स्वामित्व अधिपत्य कि साबिक आराजी संख्या 878 में से 05 बिस्वा भूमि जरीये पंजिकृत विक्रयपत्र के क्रय कर विक्रयपत्र में वर्णित पडौसो के मध्य की भूमि पर क्रय के दिन से अर्थात करीब 45 वर्षो से वादीगण के पुर्वज सुवालाल व उनके निधन के उपरान्त विरासत से वादीगण ही काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है , जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को होने के बावजूद प्रतिवादीगण दिनांक 28/12/2016 को वादीगण की कब्जेसुदा क्रय सुदा भूमि पर आये व वादीगण के साथ गाली–गलौच व धक्का मुक्की कर वादीगण की कब्जेसुदा क्रयसुदा भूमि को अपने नाम पर होने का नाजायज फायदा उठाने की गरज से अन्य लोगो को विक्रय करने व वादीगण को बेदखल करने कि धमकी दी वही वजह वादीगण को यह वादपत्र बावत घोषणा ईन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हेतू पेश करने कि नोईयत पैदा हुई अतः वादीगण इस आशय कि घोषणा कि डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण के प्राप्त करने के अधिकारी है कि ग्राम चाखेड तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी संख्या आराजी संख्या 1007 रकबा 19 बिस्वा व आराजी संख्या 1008 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा में से 05 बिस्वा भूमि वादीगण के पुर्वज श्री सुवालाल जी द्वारा जरीये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के क्रय कर लेने व क्रय करने कि दिनांक से लेकर आज दिन तक अर्थात करीब 45 वर्षो से निरन्तर मौके पर कब्जा वादीगण का होने से कब्जामुखालपाना के आधार पर खातेदार काश्तकार है तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख में ईन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण का नाम हाल आराजी संख्या 1007 व 1008 में प्रतिवादीगण के साथ पंजिकृत विक्रय पत्र अनुसार 05 बिस्वा भूमि पर दर्ज कराया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाइ निषेधाज्ञा पारीत फरमाई जाव कि प्रतिवादीगण , वादीगण को उनकी क्रयसुदा व कब्जेसुदा 05

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

विस्वा भूमि का उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान, बाधा, रूकावट न तो स्वय उत्पन्न करे व न ही अन्य से करावें व न ही अन्य लोगो को रहन बय बक्षीश विकय या अन्तरण कर वादीगण को जबरन बेदखल करे व न करावे ।

वादीगण के वादपत्र को दिनांक 04/01/2017 को पंजिबद्व किया जाकर जरीये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया तथा दिनांक 17/01/2017 को प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04, 08, 09 कि ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राठौड द्वारा अधिकार प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल प्रत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 05, 06, 07, 10 बावजूद सम्मन तामिल के व आवाजे लगाने पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तथा पत्रावली को वास्ते पेश होने जवाबदावा हेतू नियत कि गई तथा कई मर्तबा अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब दावा प्रस्तुत नही होने पर दिनांक 28/08/2018 को जवाबदावा बन्द कर पत्रावली को वास्ते साक्ष्य हेतू नियत कि गई तथा दिनांक 12/03/2020 को वादीगण कि साक्ष्य स्वरूप वादी संख्या 01 भेरूलाल का शपथपत्र प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 व 08 से 09 के अधिवक्ता व स्वयं प्रतिवादीगण को आवाजे लगाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 01 से 04 व 08 से 09 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिया जाकर वादी भेरूलाल के बयान को लेखबद्व किये गये

अधिवक्ता वादीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही जिस पर अधिवक्ता वादीगण कि बहस सुनी गई बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दुहराते हुए वादपत्र में अंकित तथ्यों , दस्तावेजो के आधार पर वादीगण के वादपत्र को स्वीकार कर डिकी किये जाने कि इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली व पत्रावली मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा वादीगण के अधिवक्ता कि बहस पर मनन किया तो जाहीर आया कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 कि पुर्वजा श्रीमति टीमरकंवर पत्नी श्री शंभूसिंह जी राजपूत के स्वामित्व अधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की साबिक कृर्षि आराजी संख्या 878 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा भूमि सेटलमेन्ट से पुर्व अन्य आराजियात के साथ ग्राम चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में स्थित होकर दर्ज राजस्व रेकार्ड थी जिसकी ताईद सम्वत 2024 से 2027 कि जमाबन्दी कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी--1 से होती है तथा साबिक आराजी संख्या 878 के सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन आराजी संख्या 1007 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा व आराजी संख्या 1008 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कायम किये गये जिसकी ताईद मिलान खसरा पत्रक प्रदर्श पी--2 से होती है तथा वर्ष 2005 में श्रीमति टिमरकंवर का निधन हो जाने से जरीये इंतकाल नम्बर 1238 के विरासत से टिमर कंवर के बजाय लक्ष्मणसिंह, मिठ्ठुसिंह, चन्द्रसिंह पिता गोवर्धनसिंह, भंवरकवर ,श्यामकंवर पुत्री गोवर्धनसिंह, नारायणकंवर पत्नी गोवर्धनसिंह, विष्णुकंवर, सरीयाकंवर, गेन्दकंवर पुत्री शंभूसिंह के नाम पर दर्ज कि गई तथा तत्पश्चात वर्ष 2009 मे भंवरकंवर , श्यामकंवर, व गेन्दकंवर ने अपने हक हिस्से को लक्ष्मण सिंह, मिठ्ठुसिंह, चन्द्रसिंह के पक्ष मे हक परीत्याग कर दिया तथा वर्ष 2009 में ही विष्णुकंवर, सरीयाकंवर ने अपने हक हिस्से को लक्ष्मण सिंह

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

पिता गोवर्धनसिंह के पक्ष मे हक परित्याग कर दिया इन तथ्यों कि ताईद जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–3 से होती है तथा तत्पश्चात लक्ष्मणसिंह ने नवीन आराजी संख्या 1007 व 1008 में से रूकमण पत्नी रामेश्वर जाट एवं घीसी पत्नी गोपीलाल जाट को 04 बिस्वा व गीता पत्नी जीवराज जाट को 01 बिस्वा, तथा हीरालाल, अमरचन्द पिता मांगीलाल, छीतरमल पिता सुखदेव जाट को 02 बिस्वा एवं सोहनलाल पिता श्रीकिशन जाट को 03 बिस्वा भूमि विकय कर दी तथा प्रतिवादीगण व इन केताओं के मध्य विभाजन हो जाने से खाते भी अलग –अलग हो चुके है इन तथ्यो कि ताईद जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–4 से होती है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम पर आराजी संख्या 1007 रकबा 19 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1008 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज राजस्व रेकार्ड है इस तथ्य कि पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–5 से होती है एवं उक्त वर्तमान आराजी संख्या 1007 व 1008 के सेटलमेन्ट के पुर्व साबिक आराजी संख्या 878 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा होकर श्री मति टिमरकंवर के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी जिसमें से श्रीमति टिमरंकवर ने 05 बिस्वा भूमि जिसके पडौस पुर्व मे पटेल धुलीराम जी कि गुवाडी, पश्चिम में सरकारी रास्ता उत्तर में टिमर कंवर की स्वयं की आराजी, दक्षिण में सुवालाल जी बोहरा का नोहरा है को वादीगण के पुर्वज श्री सुवालाल आत्मज श्री भूरालाल जी बोहरा को बिल एवज 1000 /– अक्षरे एक हजार रूपये में विकय कर विकयपत्र का दिनांक 09/06/1971 को सुवालाल जी के पक्ष में पंजियन करा कब्जा मौके पर सिपुर्द कर दिया इस तथ्य कि ताईद टिमरकंवर द्वारा सुवालाल जी के पक्ष में दिनांक 09/06/1971 को निष्पादित पंजिकृत विकयपत्र जो असल प्रदर्श पी–6 जिसकी फाटोप्रति प्रदर्श पी–6 ए है से होती है। इस प्रकार वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों व वादी कि साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्वत 2070 से 2074 कि जमाबन्दी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम दर्ज हाल आराजी संख्या आराजी संख्या 1007 रकबा 19 बिस्वा व आराजी संख्या 1008 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा जिसके सेटलमेन्ट के पुर्व साबिक आराजी संख्या 878 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा होकर प्रतिवादीगण की पुर्वजा श्रीमति टिमरकंवर के नाम पर सम्वत 2024 से 2027 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसमें से श्रीमति टिमरंकवर ने 05 बिस्वा भूमि जिसके पडौस पुर्व मे पटेल धुलीराम जी कि गुवाडी, पश्चिम में सरकारी रास्ता उत्तर में टिमर कंवर की स्वयं की आराजी, दक्षिण में सुवालाल जी बोहरा का नोहरा है को वादीगण के पुर्वज श्री सुवालाल आत्मज श्री भूरालाल जी बोहरा को बिल एवज 1000 /– अक्षरे एक हजार रूपये में विकय कर विकयपत्र का दिनांक 09/06/1971 को सुवालाल जी के पक्ष में पंजियन करा कब्जा मौके पर सिपुर्द कर दिया परन्तु राजस्व कर्मियो की भूल या सेहवन से उक्त विकय पत्र के आधार पर केता श्री सुवालाल के नाम पर कय सुदा भूमि का नामान्तरण नही होने से श्री सुवालाल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होकर सेटलमेन्ट के पश्चात भी विकेता टिमरकवर का नाम ही बदस्तुर रहा तथा टिमरकंवर के निधन के पश्चात उसके वारीसान प्रतिवादीगण का नाम विरासत से दर्ज हो गया जो बदस्तुर है जबकी वादीगण अपने पुर्वज सुवालाल जी द्वारा कय कि गई 05 बिस्वा भूमि पर पंजिकृत विकयपत्र में वर्णित पडौसो मध्य भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा पंजिकृत विकयपत्र प्रदर्श पी–6 ए का अवलोकन करने से यह तथ्य निर्विवाद है कि श्रीमति

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

टिमरकवर ने अपने नाम दर्ज साबिक आराजी संख्या 878 मे से 05 बिस्वा भूमि दिनांक 09/06/1971 का विक्रय कर कब्जा वादीगण के पुर्वज सुवालाल को सिपुर्द कर दिया था तब से ही आज दिन तक करीब 45 वर्ष से वादीगण विधिक रूप से काबिज है तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण के वादपत्र का कोई खण्डन भी प्रस्तुत नही किया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वादपत्र को सिद्व कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता हु अत

—: आदेश :—

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चांखेड पटवार हल्का चांखेड तहसील माण्डल मे स्थित हाल आराजी संख्या आराजी संख्या 1007 रकबा 19 बिस्वा व आराजी संख्या 1008 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 05 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख में ईन्द्राज दुरूस्त कर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम दर्ज हाल आराजी संख्या 1007 रकबा 19 बिस्वा व आराजी संख्या 1008 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा में से 05 बिस्वा भूमि पर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री मुर्तिब कि जावे।

(महिपालसिंह)
आर. ए. एस
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपालसिंह)
आर. ए. एस
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

फार्म 2 नियम 6 ...

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान (आर०ए०एस०)

वईजलास श्री महिपाल सिंह

अनवान प्रकरण

1. श्री भैरूलाल S/o श्री सुवा लाल बोहरा (महाजन) निवासी - चांरखेड तहसील - माण्डल
2. श्री तेजसिंह S/o श्री सुवा लाल ——— " ———
3. मु० पारसी D/o श्री सुवा लाल ——— " ———
4. मु० सुशीला D/o श्री सुवा लाल ——— " ———
5. मु० चंदा D/o श्री सुवा लाल ——— " ———
6. मु० पुष्पा D/o श्री सुवा लाल ——— " ———
7. मु० गट्टू W/o श्री सुवा लाल ——— " ———

वादीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मण सिंह S/o गोवर्धन सिंह राजपूत निवासी - चांरखेड तहसील - माण्डल
2. श्री राजबहादुर S/o मिठ्ठु सिंह राजपूत ——— " ———
3. मु० पिंकी कंवर D/o मिठ्ठू सिंह राजपूत ——— " ———
4. मु० श्रवण कंवर W/o मिठ्ठू सिंह राजपूत ——— " ———
5. श्री करण सिंह S/o श्री चन्द्र सिंह राजपूत ना० बा० जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता मु० भंवर कंवर W/o श्री चन्द्र सिंह राजपूत निवासी - चांरखेड तहसील - माण्डल → ...

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा इन्द्राज दुरूस्ती मुकदमा नं० / वर्ष 2/17 नया 134/19 निर्णय दिनांक 13·3·20

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसाल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील ...

निम्नांकित हुक्म ... श्री राजेश तिवाड़ी Adv. ... ...

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चांरखेड पटवार हल्का-चांरखेड तहसील माण्डल मे स्थित हाल आराजी सं० 1007 रकबा 19 बिस्वा व आराजी सं० 1008 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि मे से 05 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्त कर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम दर्ज हाल आराजी सं० 1007 रकबा 19 बिस्वा व आराजी संख्या 1008 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा मे से 05 बिस्वा भूमि मे वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

खर्चा फरिकेन अपना - अपना वहन करे।

आज तारीख 13·3·20 को मेरे हस्ताक्षर ... न्यायालय की मोहर ... जारी की गई।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला-भीलवाड़ा

6. मु॰ कृष्णा कंवर D/o श्री-चन्द्रसिंह राजपूत ना॰बा॰ जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भंवर कंवर W/o श्री-चन्द्रसिंह राजपूत निवासी-चांखेड तहसील-माण्डल

7. मु॰ गोरिया कंवर D/o श्री-चन्द्रसिंह राजपूत ना॰बा॰ जरिये प्राकृतिक संरक्षिका मु॰ भंवर कंवर W/o श्री-चन्द्रसिंह राजपूत निवासी-चांखेड तहसील-माण्डल

8. मु॰ भंवर कंवर W/o श्री-चन्द्रसिंह राजपूत निवासी-चांखेड तहसील-माण्डल

9. मु॰ नारायण कंवर W/o श्री गोवर्धन सिंह राजपूत निवासी-चांखेड त॰ माण्डल

10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल तहसील-माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.07.24 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: